

NHB(ND)/ROD/HFC/Refinance Circular 5/2014-15
Dated : 22-12-2014



To All Eligible Housing Finance Companies

Madam / Sir,

Refinance Circular No. 5/2014-15
Rural Housing Fund - Increase in Tenure

1. Increase in Tenure

The maximum tenure of refinance extended under the Rural Housing Fund (RHF) have been increased with immediate effect. The revised tenure of refinance disbursements made under the Rural Housing Fund on or after the date of this circular, will be as under :

	Original	Revised
Minimum Tenure	3 years	No change
Maximum Tenure	7 years	10 years

Thus, refinance under the Rural Housing Fund will be available to the HFCs for maximum tenure of 10 years at fixed rate of interest without any reset.

2. All other terms and conditions under the Rural Housing Fund refinance scheme as applicable to Housing Finance Companies as communicated from time to time shall continue to be applicable.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(V. Vaideswaran)
Deputy General Manager
Refinance Operations

एनएचबी(एनडी)/आरओडी/एचएफसी/पुनर्वित्त परिपत्र 5/2014-15

दिनांक: 22-12-2014

सभी पात्र आवास वित्त कंपनियों को,

महोदया / महोदय,

पुनर्वित्त परिपत्र सं. 5/2014-15
ग्रामीण आवास निधि - कार्यकाल में वृद्धि

1. कार्यकाल में वृद्धि

ग्रामीण आवास निधि (आरएचएफ) के तहत प्रदत्त पुनर्वित्त के अधिकतम कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से बढ़ाया गया है। इस परिपत्र की तिथि को अथवा तत्पश्चात् ग्रामीण आवास निधि के तहत पुनर्वित्त संवितरणों का संशोधित कार्यकाल यथा निम्नानुसार होगा:


	मूल	संशोधित
न्यूनतम कार्यकाल	3 वर्ष	कोई परिवर्तन नहीं
अधिकतम कार्यकाल	7 वर्ष	10 वर्ष

इस प्रकार, बिना किसी पुर्ननिर्धारण के ब्याज की स्थिर दर पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए ग्रामीण आवास निधि के तहत पुनर्वित्त आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) को उपलब्ध होगा।

2. ग्रामीण आवास निधि पुनर्वित्त योजना के तहत, आवास वित्त कंपनियों के लिये यथा लागू और समय समय पर यथा संसूचित अन्य सभी नियम व शर्तें लागू रहेंगे।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,



(वी. वैदेश्वरन)

उप महाप्रबंधक

पुनर्वित्त परिचालन

एनएचबी(एनडी)/आरओडी/आरआरबी/पुनर्वित्त परिपत्र 4/2014-15